संख्या 12/ 3/2009-वेतन-I

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

नई दिल्ली; दिनांक : 30 मार्च 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के वेतन नियतन से संबंधित मार्गनिर्देश – आयोग द्वारा चयन द्वारा भर्ती पद्धति के माध्यम से की गई नियुक्तियों की संस्तुति के संबंध में ।

इस विभाग के दिनांक 7.8.89 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12/1/88-वेतन-I तथा दिनांक 10.7.98 के का.ज्ञा. सं. 12/1/96- वेतन-I की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत उम्मीदवारों, जिन्हें आयोग द्वारा केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा भर्ती पद्धति द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किया गया हो, के वेतन नियतन से संबंधित मार्गनिर्देश जारी किए गए थे ।

2. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन तथा सी.सी.एस.(आर.पी) नियमावली, 2008 के जारी होने के बाद, रनिंग पे बैंड तथा ग्रेड पे की प्रणाली लागू की गई । तदनुसार उपर्युक्त संदर्भित इस विभाग के दिनांक 7.8.89 तथा 10.7.98 के का.ज्ञा. के आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 1.1.2006 को अथवा उसके बाद हुई नियुक्तियों के संबंध में वेतन नियतन निम्न प्रकार होगा :-

"ऐसे उम्मीदवारों के मामले में जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, अर्धसरकारी संस्थानों अथवा स्वायत्त निकायों में 1.1.2006 को अथवा उसके बाद किसी समुचित रूप से गठित अभिकरण द्वारा जिसमें विभागीय प्राधिकरण जो सीधे भर्ती करता है, शामिल है, साक्षात्कार के द्वारा चयनित किया गया हो, उनका प्रारंभिक वेतन उस पद के साथ जुड़े ग्रेड वेतन को देते हुए नियत की जाए । इसके अतिरिक्त, वेतन बैंड में उनका वेतन ऐसे चरण में नियत किया जाए, ताकि वेतन बैंड+ग्रेड वेतन+सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्तों से उनका वेतन उनके द्वारा मूल संगठनों में पहले से आहरित वेतन+डी.ए. का संरक्षण हो सके । इस नीति के अंतर्गत नियत वेतन बैंड में उनका वेतन सी.सी.एस.(आर.पी) नियमावली, 2008 की प्रथम अनुसूची के भाग-क, खण्ड-II द्वारा 1.1.2006 को अथवा उसके बाद सीधे भर्ती हेतु अधिसूचित किए अनुसार संशोधित वेतन ढांचे में प्रविष्टि वेतन से निचले स्तर पर नियत नहीं होगा । (संबंधित पद पर लागू होने वाले ग्रेड वेदन के अनुसार) इस नीति के अंतर्गत नियत किया गया वेतन 67000 रुपये से अधिक नहीं होगा, वेतन बैंड पी.बी.-4 की अधिकतम सीमा ।

3. वेतन संरक्षण की शर्तें इस विभाग के उपर्युक्त संदर्भित दिनांक 7.8.89 तथा 10.7.98 में निर्धारित किए अनुसार ही होगी ।

4. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, इन आदेशों को भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

5. ये आदेश 1.1.2006 से लागू होंगे ।

रीता माथुर
(रीता माथुर)
निदेशक (वेतन)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची अनुसार)